अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

2056 (E)
19/3/18

आदेश

पथ प्रमंडल, जहानाबाद अन्तर्गत बंधुगंज–हवलीपुर–चंधरिया–मसौढ़ी पथ के निर्माण कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, जहानाबाद द्वारा संवेदक महेश कुमार सिंह, ग्राम+पो०–कल्पा, जिला–जहानाबाद के साथ एकरारनामा सं०–09MBD/2013-14 किया गया। एकरारनामा के अनुसार एकरारित राशि ₹ 23,09,18,195/– थी । एकरारनामा के अनुसार कार्यारंभ की तिथि 13.12.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 12.12.2018 निर्धारित है।

2. कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्र० सं०–2, पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ प्रमंडल, जहानाबाद अन्तर्गत बंधुगंज–हवलीपुर–चंधरिया–मसौढ़ी पथ की जाँच दिनांक–13.07.2017 को की गई तथा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–126 (अनु०) दिनांक–14.07.2017 एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–136(गो०) दिनांक–27.07.2017 के द्वारा समर्पित किया गया। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं०–02 द्वारा समर्पित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन एवं निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं शोध संस्थान से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय तकनीकी समिति द्वारा समीक्षोपरांत आरोपित संवेदक महेश कुमार सिंह के विरूद्ध निम्न बिन्दुओं पर आरोप पत्र गठित किया गया :–

146 (अ०) 21/3/18

2.1 पथ के 15वे कि०मी० में कराये गए SDBC Gr-II का FDD 2.11gm/cc पाया गया, जो प्राक्कलन में प्रावधानित मात्रा 2.30gm/cc से कम है।

2.2 पथ के 15वे कि०मी० में कराये गए SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.90% पायी गयी है, जो प्राक्कलन में प्रावधानित SDBC Gr-II में अलकतरा की मात्रा 5% के अनुरूप नहीं है।

2.3 विषयांकित पथ के 11वे कि०मी० में लगभग 10 से 12 जगहों पर, 12वे कि0मी0 में 11 से 13 जगहों पर एवं 13वें कि0मी0 में लगभग 6 से 8 जगहों पर पथ क्रष्ट क्षतिग्रस्त पाया गया है।

3. उक्त आरोपों का उल्लेख करते हुए विभागीय पत्रांक–802 (ई०) दिनांक–05.02.2018 के द्वारा संवेदक महेश कुमार सिंह से स्पष्टीष्टीकरण की मांग की गयी एवं विभागीय पत्रांक–1504 (ई०) दिनांक–28.02.2018 के द्वारा स्मारित किया गया।

4. संवेदक महेश कुमार सिंह के पत्रांक–शून्य दिनांक–26.02.2018 के माध्यम् से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। संवेदक द्वारा समर्पित स्पंष्टीकरण में उनके ऊपर लगाये गये आरोपों का कंडिकावार जवाब नहीं दिया गया, बल्कि विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया।

P.T.O.

5. समीक्षोपरांत संवेदक महेश कुमार सिंह का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क) (ii) एवं विभागीय पत्रांक–4104 (ई०) दिनांक–28.10.2009 के प्रावधान के आलोक में संवेदक महेश कुमार सिंह, ग्राम+पो०–कल्पा, जिला–जहानाबाद (निबंधन संख्या–अ0प्र0/श्रेणी–01 (एक)–474/2013–पथ) को अगले 2 (दो) वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है।

19/3/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध– (कार्य०)–04–24/2018– 2056 (E) /पटना, दिनांक 19/3/18

निबंधित

प्रतिलिपि :– महेश कुमार सिंह, ग्राम+पो०–कल्पा, जिला–जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध– (कार्य०)–04–24/2018– 2056(E)/पटना, दिनांक 19/3/18

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध– (कार्य०)–04–24/2018– 2056 (E)/पटना, दिनांक 19/3/18

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०–02, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध– (कार्य०)–04–24/2018– 2056 (E)/पटना, दिनांक 19/3/18

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

19.03.18